

339

447

श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट पीठ रीवा संभाग
रीवा

निगरानी 93-III-15

दीरालोक पटेल
7 जन दिनांक 29-12-14 के
सुत किया गया।
एड के
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा



Rs. 20/-

855
29-12-14

- 1-जगदीश प्रसाद उम्र 70 वर्ष
 - 2-भीमसेन उम्र 68 वर्ष,
 - 3-हरिहर प्रसाद उम्र 60 वर्ष,
 - 4-रामरंगीले उम्र 64 वर्ष
- उक्त के पिता श्री रामसियम्बर पटेल
- 5-सुदामा प्रसाद तनय श्री सरजू प्रसाद उम्र 66 वर्ष,
सा0 बुड़वा हाल निवासी गोरगाँव तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा म0 प्र0
 - 6-सुखनन्दन तनयश्री देवकीनन्दन पटेल उम्र 60 वर्ष,
 - 7-विश्वनाथ उम्र 72 वर्ष
 - 8-रामलली पटेल उम्र 68 वर्ष
- दोनों के पिता श्री रामपियारे पटेल
निवासी ~~गोरगाँव~~ तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0
बुड़वा-2
----आवेदक गण

4220
बनाम
आज
पुस्तक द्वारा प्रस्तुत
कोर्ट
राजस्व मण्डल प्र. ग्वालियर

- 1-श्रीमती छोटी पत्नी श्री रामसजीवन पटेल
 - 1-श्रीनिवास तनय श्री रामसजीवन पटेल
 - 2-राजमणि तनयश्री काशी प्रसाद कुर्मी,
 - 3-श्री मती फुलबसिया पत्नी श्रीरामसुन्दर कुर्मी,
 - 4-सन्तोष कुमार
 - 5- भूपेन्द्र कुमार,
 - 6-राजेश ,
 - 7-रामभुवन पटेल
- उक्त चारों के पिता श्री रामसुन्दर कुर्मी
उक्त सभी निवासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चु0 जिला
रीवा म0 प्र0
- 8-उग्रसेन तनय श्री नर्वदा उर्फ चुंगा कुर्मी
 - 9-बुद्धसेन पिता श्री जगजाहिर कुर्मी,
 - 10- उग्रभान पिता श्री जगजाहिर कुर्मी,
 - 11-राजभान पटेल तनय श्री जगजाहिर कुर्मी
 - 12- सम्पति पिता श्री सरजूकुर्मी
 - 13-रोहिणी पिता श्री सरजू कुर्मी
 - 14-रामायण पिताश्री सरजू कुर्मी
 - 15- मु0 बेबा सरजू कुर्मी
 - 16-बंशरूप पिता श्री रामाश्रय कुर्मी,
 - 17-रामनरायण पिता श्री बृजभान कुर्मी
 - 18-अभिमान पिता श्री बृजभान कुर्मी
- उक्त सभी निवासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चु0 जिला
रीवा म0 प्र0

----अनावेदक गण

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री अपर
जिलाध्यक्ष जिला रीवा रा0
निगरानी प्रकरण क्र0 99अ27/
/013-014 आदेश दिनांक

(Handwritten signatures)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-रीवा

प्रकरण क्रमांक R-93-III/15

जगदीश प्रसाद/श्रीमती छोटी पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 99/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	




(बी.एम.शर्मा)
सदस्य

